राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency

सं०सं०: SHSB/GA/HR/1685/2016

कार्यालय आदेश

राज्य स्वास्थ्य समिति के विज्ञापन सं० 02/16 (पी०आर०सं० 195 नि०नि० 16–17) के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु राज्य के चिन्हित 15 जिलों में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु **मेडिकल ऑफिसर पार्ट–टाईम** के संविदागत् पद पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के आदेश ज्ञापांक 1865 दिनांक 14.06.2016 एवं ज्ञापांक 2221 दिनांक 30.06.2016 के द्वारा नियोजित अभ्यर्थियों को विभिन्न जिला/शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवंटित/पदस्थापित किया गया था।

उक्त नियोजित अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के कारण रिक्त पदों पर मेधासूची के शेष अभ्यर्थियों में से मेधा क्रमानुसार, कोटिवार अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से नियोजित करते हुए, उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित जिला के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र०सं०	पंजीकरण सं०	नाम	जन्म तिथि	जिला के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम
1	2	3	4	5
1	161046	Dr. Manish Kumar	05.01.1980	UPHC Daudpur Bagicha, Patna
2	162014	Dr. Sunil Kumar	05.06.1986	UPHC , Jhakhari Mahadev, Patna
3	161048	Shankar Bharti	01.03.1981	Sakunat Kala, Nalanda
4	162020	Sanjiv Kumar	10.11.1978	Gaushganj, Bhojpur
5	162019	Sandeep Kumar	16.02.1991	Brahampura, Muzaffarpur
6	161042	Anand Kumar	01.01.1983	Mata Chowk, Purnea
7	161020	Vickey	01.03.1988	Bhusunda, Gaya
8	161029	Rizwan Ahmad	02.01.1985	Alamganaj Machua Toli Patna
9	161004	Anant Shankar	16.02.1982	Gumti no. 02, Munger
10	161045	Gurudeo Kumar	05.01.1979	Bauliya, Rohtas
11	161001	Dr. Sweta Kumari	04.10.1983	Kamala Neharu Nagar, Patna
12	161025	Dr. Shashank Kumar	09.12.1983	Sarai kila, Bhagalpur
13	161016	Birendra Kumar	15.07.1978	Ghugharitand, Gaya
14	161005	Saroj Ranjan	15.01.1985	Mohaddinaga, Bhagalpur
15	162024	Sushant Kumar Saurabh	19.01.1980	Aragada, Munger

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014.

स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार

दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322, वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:–

i. दिनांक 10.12.2016 तक उपरोक्त तालिका के स्तंभ–5 में अपने नाम के सामने अंकित जिला के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों का नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

ii. योगदान के पश्चात् सभी नवचयनित अभ्यर्थी एकरारनामा करने के लिए, स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।

iii. यदि किसी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा सरकारी सेवा में हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें वर्त्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।

iv. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए है। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य, पदों की आवश्यकता एवं राशि की उपलब्धता के आधार पर संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।

v. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

vi. आवंटित जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने के लिए किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

vii. सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त (antecedent) एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।

viii. उक्त चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त (antecedent) का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच की क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

ix. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अधीन **Medical Officer-Part Time** के संविदागत पद हेतु उक्त सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को एक मुस्त मानदेय ₹18,900/– (अठारह हजार नौ सौ रुपये) प्रतिमाह का भुगतान जिला स्तर से किया जाएगा।

x. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की उपविधियाँ एवं सेवा नियमावली तथा सेवा शर्तों संबंधी समय–समय पर निर्गत अनुदेश/आदेश इन पर लागू होंगे।

3. सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव को निदेश दिया जाता है कि नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त निदेश के अनुपालन की सूचना वे अचूक रूप से मानव संसाधन कोषांग के **E-Mail ID: shsbhrcell@gmail.com** पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/–
(शशि भूषण कुमार)

ज्ञापांक *: SHSB/GA/HR/1685/2016/*5682 *पटना,* ***दिनांक:*** 01/*12/2016*

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर निदेशक–वित्त/वित्त प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक-NHM/राज्य शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों (Medical Officer-Part Time) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के अधिकृत वेबसाईट ***www.statehealthsocietybihar.org*** पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

01.12.2016

कार्यपालक निदेशक
–सह–
विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग